



प्रेषक,

डा० राकेश वर्मा

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

मुद्रण एवं लेखन सामग्री,

उ०प्र० प्रयागराज

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 04 अप्रैल, 2019

विषय:- अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक 2058- लेखन सामग्री और मुद्रण (राजस्व लेखा) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-8 (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के लेखाशीर्षक- 2058-लेखन सामग्री और मुद्रण (राजस्व लेखा) के अन्तर्गत चालू कार्य मदों (अधिष्ठान व्यय) पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए बजट प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि रु० 1,93,98,85,000/- (रुपये एक अरब तिरानबे करोड़ अठ्ठानबे लाख पच्चासी हजार मात्र) की स्वीकृति संलग्नक में उल्लिखित विवरण के अनुसार नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में व्यवस्थित /स्वीकृत धनराशि केवल चालू योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों/अन्य प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

3 उपर्युक्त धनराशि का व्यय एतदविषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 जो समस्त विभागाध्यक्षों को भी पष्ठांकित है में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

4 उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार मासिक आधार पर किया जायेगा। निदेशक मुद्रण द्वारा व्यय का विवरण मासिक आधार पर वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019- 20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक 2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण(राजस्व लेखा) की सुसंगत मानक मदों, जिनका विवरण/वर्णन संलग्नकों में किया गया है, के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

डा० राकेश वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-1/2019/433(1)/77-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/ द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
- 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन लखनऊ।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज /लखनऊ/वाराणसी/रामपुर।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज।
- 6 लेखाधिकारी, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज/ लखनऊ/रामपुर/वाराणसी।
- 7- संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज/लखनऊ/वाराणसी/रामपुर।
- 8- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 9- वित्त (व्यय -नियंत्रण)अनुभाग-6
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

बाबू राम
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-1/2019/433/77-2-19 -3(बजट) /2017 दिनांक 04 अप्रैल, 2019 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक /मानक मद अनुदान संख्या-8 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण(राजस्व लेखा)	निर्गत धनराशि
001-निर्देशन तथा प्रशासन	
03-अधिष्ठान (मुख्यालय)	
01- वेतन	886.45
02- मजदूरी	1.00
03- मंहगाई भत्ता	132.97
04- यात्रा व्यय	7.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00
06- अन्य भत्ते	5.00
07- मानदेय	0.50
08- कार्यालय व्यय	6.00
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.30
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00
13- टेलीफोन पर व्यय	1.60
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.80
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.30
22- आतिथ्य व्यय /व्यय विषयक भत्ता आदि	0.20
29- अनुरक्षण	6.00
39- औषधि तथा रसायन	2.00
42- अन्य व्यय	0.40
43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	4200.00
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	2.00
45- अवकाश यात्रा व्यय	3.00
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.50
49- चिकित्सा व्यय	18.00
51- वर्दी व्यय	0.50
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	54.28
55- मकान किराया भत्ता	35.00
56- नगर प्रतिकर भत्ता	15.00
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00
योग	5437.80

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(धनराशि लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक /मानक मद अनुदान संख्या-8 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण(राजस्व लेखा)	निर्गत धनराशि
103- सरकारी मुद्रणालय	
03-राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज	
01- वेतन	5051.85
02- मजदूरी	30.00
03- मंहगाई भत्ता	757.78
04- यात्रा व्यय	4.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00
06- अन्य भत्ते	6.00
07- मानदेय	0.50
08- कार्यालय व्यय	25.00
09- विदुत देय	80.00
10-जलकर/जलप्रभार	40.00
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.40
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.20
13- टेलीफोन पर व्यय	0.80
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.80
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00
29- अनुरक्षण	50.25
39- औषधि तथा रसायन	0.60
40-औषधालय संबंधी आवश्यक सज्जा	0.20
42- अन्य व्यय	1.00
43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	50.00
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	1.00
45- अवकाश यात्रा व्यय	8.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	2.00
49- चिकित्सा व्यय	25.00
51- वर्दी व्यय	1.50
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	342.72
55- मकान किराया भत्ता	209.50
56- नगर प्रतिकर भत्ता	80.00
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00
योग	6774.10

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(धनराशि लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक /मानक मद अनुदान संख्या-8 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण(राजस्व लेखा)	निर्गत धनराशि
103-सरकारी मुद्रणालय	
04-राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ	
01- वेतन	3607.06
02- मजदूरी	1.50
03- मंहगाई भत्ता	541.06
04- यात्रा व्यय	1.20
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00
06- अन्य भत्ते	5.00
07- मानदेय	0.30
08- कार्यालय व्यय	26.00
09-विदुत देय	135.00
10-जलकर/जलप्रभार	2.50
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.30
13- टेलीफोन पर व्यय	1.30
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.80
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00
29- अनुरक्षण	17.00
39- औषधि तथा रसायन	0.70
40- औषधालय संबंधी आवश्यक सज्जा	0.10
42- अन्य व्यय	0.50
43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	35.00
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	2.00
45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.50
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.50
49- चिकित्सा व्यय	15.00
51- वर्दी व्यय	0.30
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	220.00
55- मकान किराया भत्ता	140.00
56- नगर प्रतिकर भत्ता	80.00
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00
योग	4843.12

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(धनराशि लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक /मानक मद अनुदान संख्या-8 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण(राजस्व लेखा)	निर्गत धनराशि
103-सरकारी मुद्रणालय	
06-राजकीय मुद्रणालय,रामपुर	
01- वेतन	950.00
02- मजदूरी	0.30
03- मंहगाई भत्ता	142.50
04- यात्रा व्यय	2.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50
06- अन्य भत्ते	4.00
07- मानदेय	0.30
08- कार्यालय व्यय	8.00
09-विदुत देय	25.00
10-जलकर/जलप्रभार	1.25
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.30
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50
13- टेलीफोन पर व्यय	0.30
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.70
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.20
29- अनुरक्षण	3.00
39- औषधि तथा रसायन	0.10
42- अन्य व्यय	0.30
43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	7.00
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	0.20
45- अवकाश यात्रा व्यय	3.00
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.60
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.50
49- चिकित्सा व्यय	7.00
51- वर्दी व्यय	0.30
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	62.08
55- मकान किराया भत्ता	34.50
56- नगर प्रतिकर भत्ता	5.00
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.25
योग	1260.68

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(धनराशि लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक /मानक मद अनुदान संख्या-8 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण(राजस्व लेखा)	निर्गत धनराशि
103-सरकारी मुद्रणालय	
07-राजकीय मुद्रणालय,वाराणसी	
01- वेतन	780.00
02- मजदूरी	1.40
03- मंहगाई भत्ता	117.00
04- यात्रा व्यय	2.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.60
06- अन्य भत्ते	4.00
07- मानदेय	0.15
08- कार्यालय व्यय	9.00
09-विदुत	30.00
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.20
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50
13- टेलीफोन पर व्यय	0.38
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.10
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.25
29- अनुरक्षण	3.00
39- औषधि तथा रसायन	0.05
42- अन्य व्यय	0.25
43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	7.00
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	0.80
45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.60
49- चिकित्सा व्यय	3.00
51- वर्दी व्यय	0.60
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	50.02
55- मकान किराया भत्ता	30.00
56- नगर प्रतिकर भत्ता	15.00
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.25
योग	1058.15

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(धनराशि लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक /मानक मद अनुदान संख्या-8 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण(राजस्व लेखा)	निर्गत धनराशि
104-अन्य साधनों से मुद्रण की लागत	
03-अन्य साधनों से छपाई	
42- अन्य व्यय	25.00
कुल योग	19398.85
(एक अरब तिरानबे करोड अट्ठानबे लाख पच्चासी हजार मात्र)	

बाबू राम
उप सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।